न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 33/2018

उनवान

प्रताप पिता प्रेमजी जाति पटेल निवासी बिलोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—ः वादी

बनाम

(1) नाथु पिता हलिया डाबी जाति भील निवासी बिलोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) भुरजी पिता नाथु डाबी जाति भील निवासी बिलोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(3) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—ः प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 19.12.2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी की खातेदारी खाता संख्या 100 (नई) 107 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1206 रकबा 0.18 हे0, सर्वे नम्बर 1432 रकबा 0.09 हे0, सर्वे नम्बर 1434 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 1440 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 4606/584 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 4607/1552 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 4608/2332 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 4609/2383 रकबा0.16 हे0, सर्वे नम्बर 4644/1411 रकबा 0.32 हे0 कुल किता 09 रकबा 1.32 हे0 भूमि वाके ग्राम बिलोदा पटवार हल्का बिलोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज0) में स्थित है। जिसका वादी उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। वाद प्रस्तुत करने के 04 रोज पूर्व प्रतिवादीगण अपने साथ JCB लेकर अनाधिकृत प्रवेश कर आये और वादी की उक्त भूमि मै से सर्वे नम्बर 1440 रकबा 0.15 हे0 भूमि को खुर्द–बुर्द करने लगे। वादी के रोकने पर लड़ाई–झगड़ा कर एट्रोसिटी एंव बलात्कार के झुठे प्रकरण में फसाने एंव उक्त सर्वे नम्बरान् की भूमि से बेदखल करने आतादा हो गये। वादी एंव प्रबुद्धजनो के समझाने पर भी नही मान रहे है एंव उक्त भूमि को हड़पने आमादा है। प्रतिवादीगण वादी की उक्त सर्वे नम्बारान् की भूमि हड़प लेना चाहते है। इसी आशय से प्रतिवादीगण वादी की उक्त सर्वे नम्बरान् की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने आमादा है। जिन्हे स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। इस हेतु वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की तरफ से श्री जीतमल कटारा, अभिभाषक का वकालातनाम पैश होने पर पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत की गई।

प्रकरण में प्रतिवादी अभिभाषक को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नही किये जाने के कारण दिनांक 8.8.2019 को प्रतिवादी का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रकरण में वादी की साक्ष्य के रूप में दिनांक 17.10.2019 को वादी श्री प्रताप पिता प्रेमजी की साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश हुआ। प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में "NO INSTRUCTION PLEAD" किया जाने पर प्रतिवा[illegible] नाम सूचना–पत्र जारी किये गये। जो बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त [illegible] की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.11 13:33:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत [illegible] अभिलेख का सं[illegible] अवलोकन करने पर पाया गया कि मौजा बिलोदा पटवार ह[illegible] बिलोदा की खाता सं[illegible] 100 (नई) 107 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1206 रकबा 0.18 हे0, सर्वे नम्बर 1432 रकबा 0.09 हे0, सर्वे नम्बर 1434 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 1440 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 4606/584 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 4607/1552 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 4608/2332 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 4609/2383 रकबा0.16 हे0, सर्वे नम्बर 4644/1411 रकबा 0.32 हे0 कुल किता 09 रकबा 1.32 हे0 भूमि का वादी खातेदार है।

उपखण्ड अधिकारी

वादी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि मे से सर्वे नम्बर 1440 रकबा 0.15 हे0 भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर वादी को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। जो वादी के संवैधानिक अधिकारो के विपरित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा बिलोदा पटवार हल्का बिलोदा की खाता संख्या 100 (नई) 107 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1440 रकबा 0.15 हे0 किस्म–मूक भूमि में न तो अतिक्रमण करे एंव ना ही अपने किसी परिचित/रिश्तेदार से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे।

(रामचन्द खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा बिलोदा पटवार हल्का बिलोदा की खाता संख्या 100 (नई) 107 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1440 रकबा 0.15 हे0 किस्म–मूक भूमि में न तो अतिक्रमण करे एंव ना ही अपने किसी परिचित/रिश्तेदार से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.11 13:33:20 IST
Reason: SelfAttested